

न्यायलय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

बनाम समसुदीन अंसारी प्रथम पक्ष
शुली मियाँ द्वितीय पक्ष

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

जिला-गिरिडीह ।


वाद संख्या 42 सन् 20 22

आदेश की क्रम सं० और तारीख	धारा 107 द०प्र०सं० आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1.	2.	3.
	<p>मै थाना प्रभारी <u>बिरनी</u> के अप्राथमिकी संख्या <u>19/22</u> के अवलोकन से सुतुष्ट हूँ कि दोनो पक्षों के सदस्यों के बीच <u>बर्तमान संबंध</u> को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, जिससे शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। जो मेरे सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० का प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है तदनुसार नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>01-04-2022</u> को रखें।</p> <p style="text-align: right;"><u>अनुमण्डल दण्डाधिकारी,</u> बगोदर-सरिया।</p>	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3


01/04/22

अभिलेख उपस्थापित। समय पर अनुपस्थापित।
 बिलम्ब से बीबीए पत्र के सम्बन्ध में उपस्थित।
 To 9/4/22


 9/4

09/04/22

समय पर अनुपस्थापित समय पर
 बिलम्ब से उपस्थित होकर
 आपकी सुलहनामा दाखिल
 किया तथा बाद की कार्यवाही
 समाप्त करने का अडरोप
 किया जाया, जिसे स्वीकार
 किया जाना है। सुलहनामा
 इस आदेश का अंश होगा।
 बाद की कार्यवाही समाप्त
 की जानी है।


 9/4